वित्तीय स्वीकृति

संख्या-24/2024/869/18-2-2024-18-2002/11/2022

प्रेषक

पुष्पे सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 मई 2024

विषयः- जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल विण्डों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त आपके पत्र संख्या-15/10-जि0उ0के0/सिंगल विण्डो/बजट/2024-25, दिनांक 10-5-2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल विण्डो का कार्यान्वयन योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित रू0 90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र) की धनराशि मा0 राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं ।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा एवं अनावश्यक व्यय नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये निर्देशों व शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 "लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-09-जिला उद्योग बन्धु एवं जिला स्तर पर सिंगल विण्डो का कार्यान्वयन (जिला योजना)-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पुष्पे सिंह
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- निदेशक वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय 125 जवाहर भवन लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0 प्र0 कानपुर।
4- कोषाधिकारी कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/ नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
पुष्पे सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।